

तरल अपशिष्ट प्रबन्धन :-

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में जनपद की समस्त 415 ग्राम पंचायतों के 677 राजस्व ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है। उक्त चयनित ग्रामों में 5000 से अधिक एवं 5000 से कम जनसंख्या के आधार पर अनुमन्य धनराशि के अनुसार ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार की गयी। कार्ययोजना के सापेक्ष सामुदायिक सोखता गड्ढों, सिल्ट कैचर, फिल्टर चैम्बर, डब्ल्यू.एस.पी. एवं हैण्डपम्प प्लेटफॉर्म इत्यादि का निर्माण कार्य कराया गया है।

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें कार्ययोजना के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग / केन्द्रीय वित्त आयोग में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप कार्यों को कराया गया है, किन्तु ग्राम पंचायतों में समुदायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इकाइयों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है, जिस हेतु पृथक से धनराशि की आवश्यकता होगी।